6/ [illegible]
प्राप्त में दि० 24-12-20 को पेश है।

24/12/20- पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्राप्त 312 रास पर एक तरफा बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। मौजा तेजपुर पो० हरवेडी की आ० सं० 309, 310, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 372, 376, 377, 383, 384, 389, 622/359 किता 19 कुल रकबा 4.1500 है० भूमि प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण व अन्य सहखातेदारान के खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पुश्तैनी होने से प्रार्थी का हक हिस्सा भी निहित है। विपक्षीगण को उक्त भूमि के बैचान, हस्तान्तरण या रहन रखे जाने से रोके जाने हेतु वाद में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है। वाद सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत समस्त उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। मामला प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पिता द्वारा अन्य आराजी में अपने निहित हिस्से का बैचान भी कर दिया है। विपक्षीगण को आधार से पाबंद किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्राप्त प्रार्थना पत्र 312 रास का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आरिए आधार निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा तेजपुर पो० हरवेडी की आ० सं० 309, 310, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, [illegible] 377, 383, 384, 389, 622/359 किता [illegible] कुल रकबा 4.1500 है० भूमि के प्रार्थी के पिता [illegible] हिस्से का विक्रय, रहन [illegible] करें व अन्य से बयाने [illegible] की कार्यवाही न्याय से वाद की मूलवाद के साथ रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:44:28 IST
Reason: SelfAttested